संबंध है, विलम्बित उडानों के मामले में जमोन पर और उडानों में उल्पहार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

1008 **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली की कमी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए क्या उपचारी कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 1991–जून, 1991 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की कमी 9.1 प्रतिशत थी ।

(ख) विद्युत की कमी का मुख्य कारण मांग से कम विद्युत उपलब्ध होना एवं यूनिटों की अनियत बंदियां होना था ।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किये गये उपायों में ये शामिल हैं ; नयी विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करना, मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना तथा अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना ।

उत्तर प्रदेश की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

1009. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं तथा वे कब से लम्बित पड़ी हैं ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना का अनुमानित व्यय कितना-कितना है और प्रत्येक परियोजना की सम्भावित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	के०वि०प्रा० में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
ताप-विद्युत				
1. बेलधारा रोड	3×210 =630	982.2 1015.4	12/88(1) 5/90(2)	ईंधन लिंकेज, पर्यावणीय स्वीकृति एवं नागर विमानन प्राधिकारियों की स्वीकृत और सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को अभी सुनिश्चित किया जाना है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना